

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी-1/विविध-73/109

भोपाल दिनांक 28/01/2022

// आदेश //

कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 30 (3) के अन्तर्गत श्री दीपक सहारे, भृत्य, मूल कृषि उपज मण्डी समिति बैरसिया जिला भोपाल को समान पद एवं वेतनमान में आदेश जारी दिनांक से अन्य आगामी आदेश तक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण किया जाता है।

उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

1. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी पर मंडी अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (4) (क) के अनुसार मूल मंडी में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा।
2. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी के मासिक वेतन एवं भत्ते म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल से ही देय होंगे।
3. प्रतिनियुक्ति कर्मचारी की सेवा में आवश्यकता न होने पर कभी भी सक्षम स्वीकृति की अनुमति लेकर वापस की जा सकती है।

(विकास सुरवाल)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी-1/विविध-73/110

भोपाल दिनांक 28/01/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक मा0 मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल।
4. सहायक संचालक (कार्मिक) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल। संबंधित कर्मचारी की उपस्थिति से तत्काल अवगत करायें।
5. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति बैरसिया जिला भोपाल। संबंधित कर्मचारी की भारमुक्ति से तत्काल अवगत करायें।
6. श्री दीपक सहारे, भृत्य, कृषि उपज मंडी समिति बैरसिया जिला भोपाल की ओर पालनार्थ।
7. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल.